खंड 2

शासन और विकास

76 blank

इकाई 5 विकास के बदलते आयाम*

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 विकासः अवधारणात्मक ढांचा

5.3 विकास की अवधारणाः बदलते आयाम

5.4 विकास के सिद्धांत

5.5 विकास के उपागम

5.6 महिलाएं और हाशिये विकास के घटक के रूप में

5.7 निष्कर्ष

5.8 शब्दावली

5.9 सन्दर्भ लेख

5.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्न को समझ सकेंगेः

- विकास का अर्थ;
- विकास के विभिन्न सिद्धांत;
- विकास की प्रक्रिया;
- विकास के बदलते आयाम; और
- महिलाओं और हाशिये के लोगों का विकास के घटक के रूप में विश्लेषण।

5.1 प्रस्तावना

''विकास'' शब्द विरोधाभासी और अस्पष्ट है। यह अक्सर आर्थिक मापदंडों द्वारा देखा जाता है। कई लोग विकास को समग्र मानते हैं जो व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में समग्र बेहतरी लाता है। यदि 'विकास' शब्द किसी देश से संबन्धित है, तो यह उसी की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विशेषताओं को संदर्भित कर सकता है। बाजार अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति के युग में, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति को संदर्भित भी कर सकता है। इस शब्द से विभिन्न पहलुओं के संबन्धित होने के बावजूद, यह इकाई विकास के अर्थ को समग्र परिप्रेक्ष्य में विस्तृत करती है। यह इस बात की भी पड़ताल करता है कि किसी देश के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए विभिन्न अवधियों में विकास के आयामों को अलग–अलग तरीके से कैसे देखा जाता है।

***योगदानः** डॉ जी. उमा, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, इग्नू

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

5.2 विकासः अवधारणात्मक ढांचा

विकास बदलाव लाता है, और यह एक प्रक्रिया है जो लक्ष्यों की स्थापना के साथ शुरू होती है। अगले चरण की पहचान है लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन। परिवर्तन की प्रक्रिया सकारात्मक परिणाम लाती है या नहीं यह बहस का विषय है। विकास को प्रगति और परिवर्तन की सीमा के विविध रूपों से जाना जाता है, जैसे तेजी से औद्योगिकीकरण, नवीनतम तकनीकों को अपनाना, गरीबी और असमानता को कम करना और आर्थिक विकास और इत्यादी। इसके बावजूद, विकास एक बहुआयामी और एक बहु–क्षेत्रीय प्रक्रिया है। यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के बारे में है।

आमतौर पर किसी देश के विकास को उसके आर्थिक विकास और उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोजगार के अवसरों से मापा जाता है। यह संदेह से परे है कि आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। विकास का विभिन्न दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि लोगों को विकल्प दिया जाए और उन्हें उनके जीवन को जीने के लिए सक्षम बनाया जाए जो उनका मूल्य है। विश्व स्तर पर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास की अवधारणा को गति मिली। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और नए औपनिवेशिक राज्यों द्वारा विकास और विकास के महत्व की प्राप्ति ने विशाल परियोजनाओं के कार्यान्वयन का नेतृत्व किया। भारत जैसे नए स्वतंत्र देशों में, बड़े बांधों का निर्माण और उद्योगों की स्थापना को आधुनिकीकरण प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता था। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधान मंत्री (1947–64), ने जुलाई 1954 में एक भाषण में कहा था कि एक बांध ''आधुनिक मंदिर'' था। उन्होंने 1948 में हीराकुड बांध के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों को भी कहा था कि, ''अगर आपको पीड़ित होना है, तो आपको देश के हित में नुकसान उठाना चाहिए''। धीरे–धीरे विकास की धारणा बदल गई।

दो महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों के कारण विकास पर बहस शुरू हुई–पूंजीवाद (Capitalism) और औद्योगिकीकरण। 18 वीं शताब्दी के दौरान, ये धीरे–धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देशों और जापान में 19 वीं शताब्दी में फैल गए, बाद में अन्य भागों और हाल ही में चीन और कुछ दक्षिण एशियाई देशों में भी फैले। दुनिया में जनसंख्या के काफी हिस्से के लिए गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय पतन, वित्तीय संकट, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारणों का पता लगाने के प्रयास हुए हैं। इससे विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। इन अध्ययनों में से अधिकांश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन पर केंद्रित है जो दुनिया में चल रहा है और तकनीकी, सांस्कृतिक परिवर्तन हैं जो इस परिवर्तन के पूरक हैं। विकास दो प्रकार के होते हैं। पहला राज्य के नेतृत्व वाला विकास है। पूर्व सोवियत संघ और भारत ने 1991 तक इस मॉडल और बाद का पालन किया। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने बाजार के नेतृत्व वाले विकास का पालन किया, जहां अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सिद्धांतों और विभिन्न नीतिगत दृष्टिकोणों ने विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए उचित नीतियों को लाने में देशों की मदद की। साथ ही, स्थानीय स्तर पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास भी उल्लेखनीय हैं। लेकिन ये पहल कई बार स्थानीय क्षेत्र विशिष्ट होती है और इसे दोहराया जा सकता है या नहीं भी। पपेनाऊ एंड बुचर (Papaionnou and Butcher, (2013) के अनुसार ''यहां विकास का मतलब ऐसे कार्यों से है जो वांछित या प्रगतिशील कुछ हासिल करने मे लक्षित है।''

जब हम विकास के बारे में बात करते हैं, तो यह मनुष्यों के जीवन में सुधार, समाज में सुधार या सुधार से संबंधित है जो अच्छा बदलाव लाता है (चैम्बर्स–Chambers, 1997)। विकास

एक तरह से बहुआयामी है जिसमें विभिन्न आयाम शामिल हैं—आर्थिक, सामाजिक, मानव, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। विकास के बदलते आयाम, उन्हें प्राप्त करने के साधन, लागत और लाभ तथा सीमांत जनसंख्या पर इसके प्रभाव और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए विकास की प्रक्रिया में उन्हें एकीकृत करने के तरीकों पर बहस होती है।

5.3 विकास की अवधारणाः बदलते आयाम

रिकार्डो से मार्क्स तक के सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों में आर्थिक विकास को संबोधित किया है। सामाजिक और उत्पादन संबंधों की व्याख्या उनके विकास की सोच में हावी थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शीत युद्ध की अवधि के दौरान, दो प्रतिस्पर्धी विकास रणनीतियों का व्यवहार किया गया था – सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय देशों और चीन में केंद्रीय योजना और पश्चिमी विकास रणनीतियों का प्रयोग किया गया था (पीटर्स–Pieterse, 2001)।

उन्नीसवीं शताब्दी में, विकास का मतलब विकास की कमियों और प्रगति के लिए उपाय था। (कोवेन एंड शेंटन–Cowen and Shenton, 1996) Pieterse (*op-cit*) के अनुसार, प्रगति (Progress) और विकास (जिसे अक्सर एक निर्बाध वेब के रूप में देखा जाता है)एक दूसरे के विपरीत होते हैं और विकास पूरक प्रगति होती हैं।

उपरोक्त चर्चा स्पष्ट करती है कि यूरोप और उपनिवेशों में बीसवीं सदी के विकास की सोच उन्नीसवीं शताब्दी की प्रतिक्रियाएं और अनुभव हैं। उन्होंने औद्योगीकरण की नीतिगत विफलताओं के माध्यम से विकास और प्रगति को समझने की कोशिश की जो लोगों को कई प्रकार प्रभावित करती है।

तालिका 1: समय के साथ विकास की अवधारणा

अवधि	परिप्रेक्ष्य (Perspective)	विकास के अर्थ (Meaning of Development)
1850	देर से आनेवाले	औद्योगीकरण, पकड़ना (Catching Up)
1870	औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाएँ	संसाधन प्रबंधन, ट्रस्टीशिप
1940	विकास अर्थव्यवस्थाएं	आर्थिक (विकास) – औद्योगिकीकरण
1950	आधुनिकीकरण सिद्धांत	विकास, राजनीतिक और सामाजिक आधुनिकीकरण
1960	निर्भरता सिद्धांत	संचय– राष्ट्रीय, निरंकुश
1970	वैकल्पिक विकास	मानवक्षमता
1980	मानव विकास	क्षमता, लोगों की पसंद का विस्तार
1980	नवउपनिवेशवाद	आर्थिक विकास, संरचनात्मक सुधार, अविनियमन, उदारीकरण, निजीकरण
1990	उत्तर विकास	सत्तावादी अभियंत्रिकी (इंजीनियरिंग)

Source: Pieterse, Jan Nederveen, Development theory, Deconstructions, Reconstructions, 2001.

इससे पहले कि हम आधुनिक विकास अर्थशास्त्र और संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करें, आइए हम विकास सिद्धांतों के प्रक्षेप–पथ की जांच करें। जहाँ भी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यूरोप और उपनिवेश देशों की तरह हावी रही, ये विकास के विभिन्न चरणों से गुजरे। इसकी

शुरुआत व्यापार और फिर खेती और खनन से हुई। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बाद के चरणों में, स्थानीय अर्थव्यवस्था मे न्यासिता और विकास था। औद्योगीकरण, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा था।

वर्तमान अर्थव्यवस्था में, विकास की अवधारणा ज्यादातर आर्थिक विकास के साथ, जुड़ी हुई है। आर्थिक विकास के साथ, राजनीतिक आधुनिकीकरण और सामाजिक विकास भी होता है। निर्भरता सिद्धांत में, विकास का मुख्य अर्थ धन का संचय है जो ''अविकसितता के विकास'' (Development of underdevelopment) की ओर जाता है (पीटर्स–Pieterse *op-cit*)।

बाद में वैकल्पिक विकास के संबंध में चर्चा हुई, जिसमें अमर्त्य सेन (Amartya sen) के मानव विकास और क्षमता के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना गया। हमने इस पाठ्यक्रम के यूनिट 11मे सतत् विकास (Sustainable Development) के बारे में पहले ही चर्चा की है। इक्कीसवीं सदी में, दो प्रमुख विकास रणनीतियाँ प्रबल हैं। एक नव–उदारवाद है, जहां राज्य को न्यूनतम भूमिका निभानी थी और बाजार की ताकतें विकास पर नियंत्रण रखती हैं। नव–उदारवादी रणनीति में, आर्थिक विकास पूरी तरह से अविनियमन, डीकंट्रोल, संरचनात्मक सुधार, उदारीकरण और निजीकरण प्राप्त किया जा सकता है। यहां, आर्थिक विकास और विकास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने का साधन ''विकास विरोधी'' (Anti-development) माना जाता है। नव–उदारवादी आर्थिक विकास (Neoliberal Economic Development) का कोई मजबूत वैकल्पिक मॉडल नहीं है। हालाँकि, स्थानीय विकास, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास और गांधीवादी विकास मॉडल जैसे कुछ दृष्टिकोण हैं। इस प्रकार विकास में विभिन्न चरण, गतिविधियाँ और कारक शामिल हैं। प्रौद्योगिकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विकास की अवधारणा के दृष्टिकोण के विभिन्न तरीके हैं। पहला है विकास की प्रक्रिया को फिर से संगठित करने के लिए विकास विमर्श के इतिहास का पता लगाना। दूसरा एक ऐतिहासिक संदर्भ में विकास का दृष्टिकोण और यह पता लगाना है कि यह परिस्थितियों के अनुसार कैसे बदलता है और समय के साथ दुनिया का सामना करता है। तीसरा दृष्टिकोण इन विकास विचारों और आयामों को फिर से जोड़ने और उनका पुनर्निर्माण करना है। (पीटर्स–Pieterse *op-cit*)

5.4 विकास के सिद्धांत

इस खंड में, हम प्रमुख विकास सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे।

आधुनिकीकरण सिद्धांत (Modernisation Theory)

आधुनिकीकरण सिद्धांत 1945 से 1960 के दौरान अमेरिका और यूरोप में उभरा। इस सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टो, एमिल दुर्खीम और मैक्स वेबर थे । नव स्वतंत्र राज्यों ने गरीबी और कम आर्थिक विकास का अनुभव किया। कुछ देशों को राजनीतिक अशांति का भी सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद वैचारिक रूप से दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई। आधुनिकीकरण सिद्धांत ने आधुनिकता के साथ विकास को महत्व दिया। विकसित देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगीकरण में उन्नत थे। जिसने व्यक्तिवाद को अधिक महत्व दिया। इस सिद्धांत के अनुसार, सभी समाज प्रगति के लिए विकास के समान चरणों से गुजरते हैं। रोस्टो (Rostow, 1960) ने आधुनिक बनने के लिए विकास के पांच चरण दिए। समाज को पहले चरण में 'पारंपरिक'(Traditional)के रूप में देखा जा सकता है। इस अवधि के दौरान, समाज पर गरीबी का प्रभुत्व होगा और वे उत्पादन के लिए आदिम तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पारंपरिक मूल्यों को संजो सकते हैं। दूसरे चरण को टेक–ऑफ के लिए पूर्व–स्थितियां' (Pre-conditions for take off)कहा जाता है।

इस चरण में, देश विकास के लिए बाहरी मदद लेते हैं। तीसरा चरण 'टेक ऑफ' (Take off) है। यहां देश निवेश और उच्च आर्थिक विकास पर जोर देता है। चौथे चरण को 'ड्राइव टू मैच्योरिटी'(Drive to Maturity) कहा जाता है। इस अवस्था में सभी लोगों मे समृद्धि देखी जा सकती है। पाँचवाँ और अंतिम चरण 'उच्च सामूहिक उपभोग' (High Mass Consumption)है। विचार के इस धारणा का मानना है कि काफी हद तक, आधुनिकीकरण के प्रति पारंपरिकता और प्रतिरोध तीसरी दुनिया के देशों के अविकास के लिए जिम्मेदार हैं और यह विकास के संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय मॉडल का अनुकरण करने के लिए एक मामला बनाता है।

इस सिद्धांत की विकास के निर्भरता सिद्धांत के समर्थकों द्वारा आलोचना की गई जो इस विचार के थे कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों का शोषण उनके अविकसित होने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।

निर्भरता सिद्धांत (Dependency Theory)

यह 1960 और 70 के दशक में आंद्रे गौंडर फ्रैंक द्वारा आधुनिकीकरण सिद्धांत को खारिज करके प्रस्तावित किया गया था। उनके अनुसार, विकसित देश आदिम (Primitive) नहीं थे, लेकिन विकसित देशों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। विकसित देश आमतौर पर इन देशों को अप्रचलित प्रौद्योगिकी प्रदान करेंगे। विकासशील देशों के लिए पुरानी तकनीक से बच पाना मुश्किल है। विकसित देश गरीब देशों को प्रौद्योगिकी और संसाधनों पर निर्भर करेंगे। निर्भरता सिद्धांत दूसरे विश्व युद्ध के बाद के विकास में पारंपरिक दृष्टिकोण के लिए एक तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। इस सिद्धांत के समर्थक अविकसितता को एक स्थान नहीं बल्कि विकास के लिए दुर्बलता की कड़ी की एक प्रक्रिया मानते थे। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों, सस्ते कामगार की अनुचित लाभ उठाना और विकसित देशों में प्रचलित बाजार की स्थितियों का लाभ उठाने की प्रवृत्ति है। यह उनके लाभ के लिए किया जाता है और विकसित देशों की निर्भरता पैदा करता है।

विश्व–प्रणाली सिद्धांत (World-Systems Theory)

यह सिद्धांत आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना की। इसने शोषण–मुक्त विश्व पर जोर दिया। यह आधुनिकीकरण और निर्भरता सिद्धांतों के विपरीत, अर्थशास्त्र, संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति और विकास अध्ययन जैसे क्षेत्रों पर ज़ोर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार, दुनिया में दो तरह की प्रणालियां प्रचलित हैं। एक विश्व साम्राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य की तरह, एक ही राजनीतिक केंद्र के साथ है। एक और विश्व अर्थव्यवस्था है, जो कई केंद्रों और कई संस्कृतियों के साथ पूंजीवाद है। यह सिद्धांत इम्मान्युयल वालर्सस्टीन (Immanuel Wallerstein) द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनके अनुसार, संपूर्ण आर्थिक दुनिया कोर (Core) और परिधि (Periphery) में विभाजित है। कोर उत्पादन के माध्यम से परिधीय और अर्ध–परिधीय क्षेत्रों को नियंत्रित करेगा, अर्थात् श्रम, कच्चे माल, पूंजी निवेश, बुद्धिजीवियों का विदेश जाना इत्यादि।

स्टैंड–पॉइंट सिद्धांत (Stand-Point Theory)

इस सिद्धांत के अनुसार, इस दुनिया में हर एक दुनिया को देखने के लिए एक स्थिति लेगा। एक समाज में प्रत्येक सामाजिक समूह की एक धारणा होती है। एक समूह की धारणा अन्य व्यक्तियों या समूहों को प्रभावित करती है। स्टैंड–पॉइंट सिद्धांत के अनुसार, समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की स्थिति उसी में दूसरों के बारे में सीमित समझ प्रदान करती है। इसने आगे कहा कि शासक समूह अधीनस्थ समूहों (Subordinate Groups) पर हावी होते हैं। अधीनस्थ समूहों की राय शायद ही शासन पर असर डालती है। इसलिए, हाशिए (Marginalised) के लोग विकास की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगे ।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

अब तक हमने विकास के विभिन्न सिद्धांतों को देखा है। आइए अब हम विकास के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें।

बोध प्रश्न 1

नोट (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. विकास की अवधारणा को समझाइए।

....

....

....

....

....

2. आधुनिकीकरण सिद्धांत पर चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

....

3. विकास का निर्भरता सिद्धांत क्या है?

....

....

....

....

....

5.5 विकास के उपागम

अब हम विकास के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों की जांच करेंगे।

नव–उदारवाद (Neo-Liberalism)

वर्तमान नव–उदारवादी नीतियां पूंजीवाद से निकलीं, जिसकी कल्पना 200 साल पहले की गई थी। यह एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1980 के दशक के दौरान उभरे वर्तमान नव–उदारवादी दृष्टिकोण ने मुक्त बाजार, कम सरकारी हस्तक्षेप और उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए प्रतिबंधों पर ज़ोर दिया। नव–उदारवादी सोच ने 1980 के दशक में प्रमुखता हासिल करना शुरू किया और 1990 के दशक तक जारी रहा। यह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary fund) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नीतियों में परिलक्षित होता है। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य नव–उदारवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार करना और दुनिया में मुद्रा को स्थिर करना है। कई देशों में भुगतान–संतुलन और

वित्तीय संकट के दौरान इन्हें पूरा करने की आवश्यकता थी। व्यापार और टैरिफ (General Agreement on Trade and Tariff) पर सामान्य समझौता बाद में जोड़ा गया था। नव–उदारवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप के बजाय लोगों के लाभ के लिए बाजार बलों का पक्ष लिया। नतीजतन, वे दृढ़ता से मानते थे कि अगर बाजार में कुछ गलत हुआ, तो यह खुद का ख्याल रखेगा। बाजार कानून लागू कर सकता है, मुद्रा को स्थिर कर सकता है और विभिन्न हितधारकों के बीच अनुबंधों को बनाए रख सकता है। बाजार में विभिन्न कर्त्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा, कुशल उत्पादन और सेवाओं के वितरण को लाती है। बाजार की गतिविधियों के माध्यम से अधिक धन का सृजन भी सभी को लाभ देता है। आखिरकार धन गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। नव–उदारवाद आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप का पक्षधर नहीं है। यह व्यक्तिगत उद्यमशीलता की स्वतंत्रता और कौशल को बढ़ावा देता है और मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार को महत्व देता है। बाजार में न्यूनतम राज्य का हस्तक्षेप पसंद किया जाता है।

संरचनावाद (Structuralism)

संरचनावाद के अनुसार, बाजार की गतिविधियां आर्थिक विकास के बजाय विभिन्न संरचनाओं की स्थापना और सुदृढीकरण की ओर ले जाती हैं। बाजार के अलावा, समाज में विभिन्न संरचनाएं जैसे वर्ग, जाति और जेंडर हैं। विकास के लिए आर्थिक विकास के अलावा उन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। कुछ संरचनाओं का समाज पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। कुछ निष्क्रिय तरीके से कार्य कर सकते हैं। कुछ अपनी विशिष्ट संरचनात्मक विशेषताओं के कारण बाजार आधारित आर्थिक वृद्धि से लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरों को लाभ नहीं हो सकता है। धन का सार्थक और उचित वितरण सुनिश्चित करना सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बाजार की गतिविधियों को विनियमित करना भी उनका कार्य है। नव–उदारवादी आर्थिक गतिविधियाँ छलपूर्ण प्रभाव में विश्वास करती हैं। मौजूदा शोध अध्ययन बताते हैं कि धन कभी भी हाशिए नहीं पहुंचता है। बाजार अर्थव्यवस्था ने भारी आय असमानताओं का उत्पादन किया है। ऑक्सफेम रिपोर्ट (Oxfam Report, 2018) बताती है कि भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक प्रतिशत के पास देश की कुल संपत्ति का 58 प्रतिशत है। भारत में 57 बिलियनेयर्स के पास 216 बिलियन अमरीकी डालर की संपत्ति है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट 2018–19 के अनुसार, भारत में जेन्डर आधारित वेतन भेदभाव मौजूद है। पुरुषों और महिलाओं के बीच मजदूरी की खाई भारत में बनी हुई है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भारत में सबसे अधिक असमान रूप से भुगतान किया जाता है, जब श्रम के लिए प्रति घंटा मजदूरी की बात आती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को औसतन 34 फीसदी कम वेतन दिया जाता है। वेतन में यह अंतर, जेंडर वेतन अंतर के रूप में जाना जाता है, रिपोर्ट में अध्ययन किए गए 73 देशों में यह सबसे अधिक है।

हस्तक्षेपवाद (Interventionism)

यह संरचनावाद और नव–उदारवाद का संश्लेषण है। हस्तक्षेपकर्ताओं (Interventionists) के अनुसार, बाजार और राज्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। उन्हें विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। विकास को असमानता, धन के पुनर्वितरण और सतत् पर्यावरण को भी संबोधित करना चाहिए। कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, समुदाय के वंचित वर्गों को छात्रवृत्ति, आदि इस दिशा में हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य भेद्यता को कम करना और व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक लचीलापन को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं काफी हद तक सफल रहीं। उदाहरण के लिए, जैसा कि विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है, दक्षिण अमेरिकी देशों ने कम

आर्थिक समूहों के लिए नकद हस्तांतरण की योजनाएं लागू की हैं और इसका महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और कमजोर हुआ। उप सहारा अफ्रीका में नकद हस्तांतरण योजना (Cash Transfer Scheme) की तरह और गरीब–अनुकूल बीमा (Pro & Poor Insurance Scheme) योजना को भी उल्लेखनीय सफलता मिली। यहां तक कि भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों ने गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। दुनिया भर में मौजूदा अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सामाजिक सुरक्षा योजना गरीबों और कमजोर लोगों के लिए बेहतर खाद्य सुरक्षा, कृषि कार्य की कमी वाले मौसम के दौरान काम करने का अवसर और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं (Rights based) तक पहुंच बढ़ाने में मददगार साबित हुई। भारत में, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर आधारित हैं, मुख्य रूप से 12 वीं पंचवर्षीय योजना और पिछली 11 वीं पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुए हैं। इस अवधि की उल्लेखनीय योजनाओं में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, (MGNREGS), राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (National Food Security Act, 2013), राजीव आवास योजना (Rajiv Awas Yojna), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सड़क विक्रेता सुरक्षा और आजीविका अधिनियम 2014(Street Vendors Protection and Livelihoods Act, 2014) है। सरकारी नीतियों में दक्षिणपंथी आधारित दृष्टिकोण के प्रति परिवर्तन, 11वीं पांच वर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया जिसके परिणामस्वरूप कई नीतियों का निर्माण हुआ जैसे शिक्षा का अधिकार और आजीविका का अधिकार। हाल की कुछ नीतियों में सम्मिलित हैः प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधान मंत्री बीमा सुरक्षा योजना (PMBSY), अटल पेंशन योजना आदि।

जन केंद्रित दृष्टिकोण (People-Centered Approach)

जन केंद्रित दृष्टिकोण सभी मौजूदा आर्थिक दृष्टिकोणों की आलोचना करता है। यह सभी के लिए धन और शिक्षा के पुनः वितरण पर ज़ोर देता है। यह सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ज़ोर देता है। लोगों के रहन–सहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को एक सक्षम प्राधिकरण होना चाहिए। यह दृष्टिकोण सुशासन के सिद्धांतों के कार्यान्वयन के बारे में अधिक संबन्धित है। सुशासन मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने, कानून के शासन के समुचित कार्य, लोकतंत्र को मजबूत करने, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव रखता है। जन–केंद्रित दृष्टिकोण सभी सरकारी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी पर बल देता है ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके। यहां मौजूदा संरचनाओं में बदलाव लाकर भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। भारत में, 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और उसके बाद के राज्य अधिनियमों ने 'ग्रामसभा' बनाया। विशेष ग्राम पंचायत के सभी पात्र मतदाता ग्रामसभा के सदस्य हैं। राज्य पंचायत अधिनियम और उसके बाद की सरकार के आदेशों ने ग्राम पंचायतों को एक वर्ष में दो से चार ग्रामसभा की बैठकें आयोजित करने के लिए बाध्य किया। ग्राम पंचायतों को अपना विवरण ग्राम सभा को प्रस्तुत करना होगा। वे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों के चयन पर भी चर्चा करते हैं। ग्रामसभा की बैठकों के अलावा, गैर–सरकारी संगठन, लोगों को शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सोशल (सामाजिक) ऑडिट करने में सक्षम बनाते हैं। सोशल ऑडिट एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार गैर–वित्तीय गतिविधियों की योजना, प्रबंधन और माप कर सकती है और विभिन्न विभागों के सामाजिक और वाणिज्यिक कार्यों के आंतरिक और बाहरी दोनों परिणामों की निगरानी कर सकती है। हम इस पाठ्यक्रम की इकाई 12 में जवाबदेही के एक उपकरण के रूप में सामाजिक ऑडिट (अंकेक्षण) के महत्व पर चर्चा करेंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, देश के सबसे बड़े गरीबी–विरोधी

कार्यक्रम में से एक है, जो अधिकार–आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है, जो वर्ष 2006 से चालू है। भारत के ग्रामीण परिवारों में वयस्क सदस्य जो अकुशल मैनुअल श्रम करने को तैयार हैं। यह एक वर्ष में 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। ग्राम पंचायतों को देश के सभी हिस्सों में कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रत्यायोजित किया गया है। विभिन्न कारकों ने कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में योगदान दिया। विभिन्न हितधारकों की पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी के सुशासन के सिद्धांतों को MGNREGS अधिनियम में ही शामिल किया गया है। कार्य स्थलों और लाभार्थियों के उचित चयन के लिए ग्रामसभा में लोगों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को सफलता दिलाई है। सामाजिक अंकेक्षण प्रावधानों को अधिनियम में शामिल किया गया है। लाभार्थियों के साथ गैर–सरकारी संगठन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए सोशल ऑडिट का आयोजन करते हैं

सतत् विकास (Sustainable Development)

1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के बाद 'सतत् विकास' शब्द का उपयोग किया गया। इस दृष्टिकोण ने प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण और विकृति की स्थिति के मद्देनजर प्रमुखता प्राप्त की, जिससे आर्थिक विकास और विकास प्राप्त करने में पर्यावरण को राष्ट्रों–राज्यों द्वारा नुकसान पहुंचा। अपनी रिपोर्ट 'आवर कॉमन फ्यूचर' (Our Common Future) में पर्यावरण और विकास के लिए ब्रांटलैंड आयोग (Brundtland Commission) ने स्थिरता के लिए एक मामला बनाया, जो सभी विकास पहलों के लिए प्रमुख सिद्धान्त है। ब्रांटलैंड रिपोर्ट के रूप में संदर्भित, इसने सतत् विकास को विकास के रूप में परिभाषित किया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है '(World Commission on Environment and Development, 1987)। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने सतत् विकास को ''विकास के रूप में परिभाषित किया है जो न केवल आर्थिक विकास करता है, बल्कि इसके लाभों को समान रूप से वितरित करता है, जो पर्यावरण को नष्ट करने के बजाय पुनः उत्पन्न करता है, और यह लोगों को हाशिए पर रखने के बजाय उन्हें सशक्त बनाता है। यह विकास है जो गरीबों को प्राथमिकता देता है, उनकी पसंद और अवसरों को बढ़ाता है और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी भागीदारी प्रदान करता है। सतत् विकास पारिस्थितिक संतुलन, हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से संरक्षण, सामाजिक न्याय और समानता की प्राप्ति और सांस्कृतिक विविधता के पहचान के लिए काम करने का प्रस्ताव करता है।यह अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।

मानव विकास दृष्टिकोण (Human Development Approach)

हमने विकास के विभिन्न सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को देखा है। इनमें से बहुत से आर्थिक विकास को महत्व देते हैं, सिवाय सतत् विकास और लोगों के केंद्रित विकास के। आर्थिक वृद्धि हासिल करने का उद्देश्य गरीबों के लिए रोजगार और धन का सृजन करना है। जैसा कि हमने पहले ही इस इकाई में देखा है, उच्च आर्थिक विकास कुछ ही लोगों को धनी बनाता है। मार्केट इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन (Trickle Down) इफेक्ट नहीं हुआ है।

हमें विकास के दृष्टिकोण पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें उद्देश्य लोगों की पसंद और लोगों की स्वतंत्रता का विस्तार करना है। मानव विकास का दृष्टिकोण लोगों को सबसे पहले रखता है। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था, अच्छी शिक्षा, नौकरी के अवसर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, शारीरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक सरकार, मानव विकास के दृष्टिकोण में प्रस्तावित हैं। यह दृष्टिकोण अमर्त्य सेन के कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सामाजिक विकल्प,

गरीबी और अकाल और विकास अर्थशास्त्र में अग्रणी कार्य से गहराई से प्रेरित है। उनकी क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach) ने सामाजिक विज्ञान और मानव विकास के लिए एक प्रतिमान प्रदान किया है। अपनी पुस्तक ***इनेक्वालिटी रिइक्जामींड़*** (Inequality Re-examined) में उन्होंने कहा कि ''एक व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्राप्त करने की क्षमता है कि उसके पास मूल्य का कारण है सामाजिक व्यवस्था के मूल्यांकन के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण प्रदान करता है, और यह समानता और असमानता के मूल्यांकन को देखने का एक विशेष तरीका पैदा करता है।" क्षमता दृष्टिकोण एक व्यापक मानक ढांचा है, जो सामाजिक व्यवस्थाओं का और स्वतंत्रता की सीमा को लोगों को बढ़ावा देने या हासिल करने के लिए जो वे महत्व देते हैं उसका मूल्यांकन करता है। यह परिक्षा करता है कि लोग वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं, उनके पास कार्य करने के लिए विकल्पों की श्रेणी और वे किस हद तक निर्णय लेते हैं जो उनके लिए मायने रखते हैं।

इसमें न केवल दार्शनिक आधार है, बल्कि मानव विकास संकेतकों के माध्यम से किसी देश की प्रगति को भी मापता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) लोगों के जीवन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए हर साल वैश्विक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पहली मानव विकास रिपोर्ट, अर्थशास्त्री महबूबउल हक द्वारा 1990 में प्रकाशित हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों को आगे सुधार के लिए नीति वकालत के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह विश्लेषण स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पर्यावरण, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और कार्य के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करता है। मानव विकास रिपोर्ट (2001) मानव विकास को राष्ट्रीय आय के मात्र बढ़ने या गिरने से कुछ अधिक के रूप में देखती है। यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जिसमें लोग अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें और अपनी जरूरतों और रुचियों के अनुसार उत्पादक और रचनात्मक जीवन जी सकें। विकास इस प्रकार लोगों की पसंद का विस्तार करने के बारे में है, और वे जिस जीवन को जीते हैं,जिससे आगे बढ़ते हैं, उसका मूल्य है। हमने इस पाठ्यक्रम के यूनिट 11 में इस पर विवरण पर चर्चा की है।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals)

मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDG) को 2000 में पेश किया गया था। किसी देश की प्रगति को मापने के लिए मानव विकास संकेतकों के बाद इसे माप का अगला चरण माना जाता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को गरीबी उन्मूलन और लोगों के कल्याण में सुधार करने वाले देशों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। 1990 के आधार और प्रगति की निगरानी के लिए 60 संकेतकों के साथ 2015 तक आठ लक्ष्य और 21 संबंधित लक्ष्य प्राप्त किए जाने थे। आठ विशिष्ट लक्ष्यों में शामिल हैं:

1) गरीबी और भूख को मिटाना
2) सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना
3) जेंडर समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना
4) बाल मृत्यु दर में कमी लाना
5) मातृ स्वास्थ्य में सुधार
6) एचआईवी एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का सामना करना
7) पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना; तथा
8) विकास के लिए वैश्विक साझेदारी की स्थापना करना।

सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals)

25 सितंबर 2015 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों ने 2030 विकास एजेंडा को अपनाया। इसने 17 विशिष्ट सतत् विकास लक्ष्यों की पहचान की। सभी हितधारक स्थायी विकास की दिशा में काम करने के लिए सहमत हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते ने भी वैश्विक तापमान के बढ़ने को सीमित करने को महत्व दिया। देश अगले पंद्रह वर्षों के भीतर गरीबी को समाप्त करने, असमानता से लड़ने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने पर सहमत हुए। देश, अमीर या गरीब होने के बावजूद, गरीबी को कम करने के महत्व को समझते हैं, आर्थिक विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी के अवसरों की आवश्यकता को संबोधित करते हैं। प्रगति को मापने के लिए, देश नियमित अंतराल में आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए सहमत हुए। राष्ट्रों से इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करने का आग्रह किया गया है।

- हर जगह गरीबी खत्म करना ।
- भूखमरी खत्म करना ,खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना।
- स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और हर उम्र के कल्याण को बढ़ावा देना।
- समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।
- जेन्डर समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।
- सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- निरंतर, समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देना।
- लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना।
- देशों मे और उनके भीतर असमानता को कम करना।
- शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना।
- स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
- सतत् विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करें।
- स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्थायी उपयोग की रक्षा करना, बहाल करना और बढ़ावा देना, लगातार जंगलों का प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण से निपटने और भूमि क्षरण और पड़ाव जैव विविधता के नुकसान को रोकना।
- सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण, और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना।

- कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत् विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना।

बोध प्रश्न 2

नोट (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. सहस्राब्दी विकास लक्ष्य क्या हैं?

....

....

....

....

....

2. सतत् विकास लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

....

5.6 महिलाएं और हाशिये विकास के घटक के रूप में

हमने विकास के इतिहास और प्रक्रिया को समझा है। इन विभिन्न चरणों को देखने के बाद, समय के साथ विकास में समावेशिता पर ज़ोर दिया गया है। अफ्रीकी कृषि प्रणाली पर एस्टर बोसेरुप (Esther Boserup) के अध्ययन ने नीति निर्माताओं के बीच जेंडर चिंताओं पर बहस को खोल दिया। इस प्रक्रिया में, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने जेंडर को विकास की बहस में एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 60 के दशक की शुरुआत से, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक दशक को ''विकास के दशक'' के रूप में चिह्नित कर रहा है। पहले विकास दशक (1961–1970) की घोषणा ने महिलाओं के संदर्भ में कोई बात नहीं की। दूसरे दशक में अंतरराष्ट्रीय विकास रणनीति में, 'कुल विकास के प्रयासों में महिलाओं का पूर्ण एकीकरण' को प्रोत्साहित करने के महत्व का एक संक्षिप्त संदर्भ नई चेतना लाया। 1980 के दशक में, सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों में महिलाओं के ''एजेंट और लाभार्थी'' होने का प्रस्ताव था। विकास में महिला दृष्टिकोण (Women in Development) महिला और विकास (Women and Development), विकास में जेंडर (Gender in Development) और जेंडर और विकास (Gender in Development),विकास मे जेंडर दृष्टिकोण के एकीकरण के आविर्भाव के रूप में चरम पर पहुँचा। तदनुसार विश्व स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण ने उन्हें विकास प्रक्रिया के प्रमुख घटक बनाने के लिए गंभीर बहस, विचार–विमर्श और नीतिगत हस्तक्षेप किए।

भारत ने महिलाओं के लिए समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकार उपकरणों की पुष्टि की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों

और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा करना था। महिला सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गई थी। इसी प्रकार सामाजिक रूप से हाशिए पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई रणनीतियों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, पंचायती राज संस्थाएं इत्यादि जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

5.7 निष्कर्ष

हमने विकास सिद्धांतों और दृष्टिकोणों पर चर्चा की है। इस इकाई मे, हमारे लिए शासन के साथ विकास के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। सुशासन पारदर्शिता, जवाबदेही, शासन की प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी, अभाव के खिलाफ शक्तिहीन को आवाज प्रदान करना, चयन करने और विकास के लिए रुचि प्रदान करने पर ज़ोर देता है। सुशासन के सिद्धांतों को देखकर, मानव विकास और लोगों ने विकास को बढ़ावा देने वाले समावेशी विकास के दृष्टिकोणों को केंद्रित किया। मानव विकास का दृष्टिकोण शासन के लिए अच्छी समझ प्रदान करता है। अच्छे आर्थिक विकास के लिए भी स्थूल अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, स्थायी रोजगार उत्पन्न करना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण में रखना आवश्यक है।

जैसा कि हमने समझाया है कि विकास में विभिन्न सिद्धांत और आयाम हैं। विकास को हमेशा वृद्धि (Growth) के साथ माना जाता है। देश के आर्थिक वृद्धि के लिए विकास ने योगदान दिया है। 20 वीं शताब्दी और 21 वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित विकास और दृष्टिकोणों के सिद्धांतों ने शासन सिद्धांतों को शामिल करके समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

5.8 शब्दावली

मार्केट इकोनॉमी (Market Economy) : यह एक आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आपूर्ति और मांग की ताकतों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

STEP (Support to Training and Employment Programme for Women) : महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन (STEP) का उद्देश्य उन दक्षताओं और कौशलों को प्रदान करना है जो महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं और उन्हें स्वरोजगार उद्यमी बनाते हैं।

उज्जवला योजना (Ujjwala Scheme) : यह गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। इसके तहत, बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए आर्थिक सहायता के रूप मे रु1600 दिया गया है।

5.9 संदर्भ लेख

Bhattacharya, Mohit- 2001- Globalization, Governance and Development -The Indian Journal of Political science-Vol-62-No-3 Special Issue on Globalization and the State-September-Pp-349& 357-

Papaioannou, Theo and Mellisa Butcher-2013- International Development in a Changing World, London% Bloomsbury Academic-

Pieterse, Jan Nederveen, 2001 Development theory, Deconstructions/Reconstructions- New Delhi% Vistaar-

Boserup, Esther, Womens role in economic development- 2008- London% Earthscan-

Kothari Smitu and Wendy Harcourt-2004-Introduction% The Violence of Development- Development-47(1) (3&7)

Kabeer Naila, Reverse Realities Gender Hierarchies in Development Thought, New Delhi% Kali for Women (1994)

Murthy Ranjani K- 2014- Feminist Debate on Development-MWG 009-Women and Social Structure- New Delhi: SOGDS, IGNOU

Pattanaik, B-K, 2016, Introduction to Development Studies, sage, New Delhi

Uma-G- 2014-Development and Violence-MWG 009-Women and Social Structure- New Delhi: SOGDS, IGNOU

5.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. आपके उत्तर में निम्न शामिल होना चाहिएः
   - विकास की अवधारणा बहुआयामी और बहु–क्षेत्रीय प्रक्रिया है।
   - इसमें विभिन्न आयाम आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक शामिल हैं–जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।
   - विकास भी बदलाव ला रहा है।
2. आपके उत्तर में निम्न शामिल होना चाहिएः
   - अमेरिका और यूरोप में 1945–60 के दौरान आधुनिकीकरण सिद्धांत का उदय हुआ।
   - सभी समाजों को आधुनिक बनने के लिए विकास के समान चरणों से गुजरना पड़ता है।
   - सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से एक रोस्तोव के अनुसार, प्रत्येक समाज आधुनिक बनने के लिए विकास के पांच चरणों से गुजरता है।
   - ये पाँच अवस्थाएँ हैं a) पारंपरिक b) टेक–ऑफ के लिए पूर्व–स्थितियाँ) c)टेक ऑफ d) परिपक्वता की ओर बढ़ना और e) बड़े पैमाने पर खपत।
3. आपके उत्तर में निम्न शामिल होना चाहिएः
   - 1960 और 1970 के दशक में आंद्रे गौंडर फ्रैंक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत,यह कुछ विकसित देशों में अविकसितता के कारण को विकसित देशों द्वारा शोषण मानता है।
   - विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों, सस्ते श्रम की शुरुआत करने और विकसित देशों में प्रचलित बाजार की स्थितियों का लाभ उठाने की प्रवृत्ति है।
   - इससे विकसित देशों पर उनकी निर्भरता बढ़ती है।

बोध प्रश्न 2

1. आपके उत्तर में निम्न शामिल होना चाहिएः

   - 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी), गरीबी उन्मूलन और लोगों के कल्याण में सुधार के लिए देशों के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को इंगित करता है।
   - एमडीजी ने आठ लक्ष्यों और 21 संबंधित लक्ष्यों को रेखांकित किया, जिन्हें 2015 तक हासिल किया जाना था।

2. आपके उत्तर में निम्न शामिल होना चाहिएः

   - संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों को अपनाया गया है।
   - इसमें 17 विशिष्ट सतत् विकास लक्ष्य शामिल हैं।
   - लक्ष्य गरीबी को कम करने हेतु लक्षित हैं,जो सतत् विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी के अवसरों की जरूरतों को संबोधित करते हैं।
   - यह समावेशी समाजों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करता है और वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 6 शासन के द्वारा लोकतन्त्र की मजबूती*

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 लोकतंत्रः परिभाषा और विशेषताएं

6.3 भारत का संविधान और शासन द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने मे इसका योगदान

6.4 शासनः अवधारणा और संचालन

6.5 शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूतीः कुछ उपाय

6.6 निष्कर्ष

6.7 शब्दावली

6.8 संदर्भ लेख

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्न को समझ सकेंगे:

- लोकतंत्र की परिभाषा:
- लोकतंत्र को मजबूत करने वाले भारत के संविधान की विशेषताओं की गणना;
- शासन की अवधारणा और इसके संचालन का अर्थ; और
- शासन के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा।

6.1 प्रस्तावना

1947 में, भारत बराबरी का राष्ट्र बन गया है और उसने लोकतांत्रिक राज्य बनना चुना है। इसने खुद को सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में मौजूदा लाभ और नुकसान पर ध्यान देने और उसी तरह विभिन्न सार्वजनिक नीति उपायों के माध्यम से सुधार लाने लोकप्रिय पसंद द्वारा एक सरकार बनाने का निर्णय किया। हमारे संस्थापक प्रवर्तकों ने तय किया है कि इतने विविध देश में, सभी की आकांक्षाओं को सुनने और समाधान करने की आवश्यकता है। आजादी के बाद से भारत ने देश की प्रगति और विकास को सुनिश्चित करने के कई उपाय किए हैं। 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत किए गए प्रयासों ने कई सकारात्मक परिणाम दिए हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में विकास के साथ औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। 1947 में भारत की जनसंख्या 340 मिलियन थी। 1947 में भारत में केवल 12 प्रतिशत आबादी साक्षर थी जो लगभग 41 मिलियन लोगों की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और साक्षरता का स्तर इसकी आबादी का 73 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

****योगदानः*** डॉ जी. उमा, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, इग्नू

1950 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) $ 30.6 बिलियन था और 2017 में यह बढ़कर 2.54 ट्रिलियन डॉलर हो गया। यह अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में आजादी के समय विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (World's Gross Domestic Product-WGDP) का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा था । भारत अब 2017 में डब्ल्यूजीडीपी (स्रोत आईएमएफ) के 8.5 प्रतिशत का लेखा है। भारत ने 1947 में लगभग 50 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया है। अब खाद्यान्न उत्पादन में पांच गुना वृद्धि हुई है।

स्वतंत्रता के समय, भारत में गरीबी की घटना लगभग 80 प्रतिशत या लगभग 250 मिलियन थी। 2017 में, गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या (एक दिन में 2,200 कैलोरी से कम खपत) लगभग 269 मिलियन है। 2015–16 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत घटकर 27.5 प्रतिशत रह गया है। उपरोक्त आंकड़ों को देखकर, कोई भी औसत कर सकता है, भारत हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। इस स्थिति में, शिक्षार्थियों के लिए लोकतंत्र और विकास को मजबूत करने की दिशा में शासन के योगदान की सराहना करना महत्वपूर्ण है। बाद के खंडों में, हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि शासन के माध्यम से लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ है। अब हम पहले लोकतंत्र को परिभाषित करेंगे और उसकी विशेषताओं को समझाएंगे।

6.2 लोकतन्त्र : परिभाषा और विशेषताएं

लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसके तहत लोग सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश पर शासन करते हैं। संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय स्व सरकारों जैसे विभिन्न संस्थाओं के लोगों के प्रतिनिधि एक लोकतांत्रिक राज्य में आवधिक अंतराल पर चुने जाते हैं। लोकतंत्र 'लोगों की इच्छा' (Will of the People) को सर्वोच्च मानता है। अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने के अलावा, सभी नागरिकों को,समान माना जाता है और उन्हें चुने हुए क्षेत्र जैसे कि अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा आदि के विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। साथ ही नागरिकों को, शिक्षा मे पहुँच, शिक्षित होने और सरकार या उनके प्रतिनिधियों की रचनात्मक आलोचना करके सूचित होने मे समान अवसर मिलता है। प्रबुद्ध नागरिक देश के लिए एक संपत्ति हैं क्योंकि वे इसके समग्र विकास में योगदान कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य में, न्यूनतम आवश्यक आयु प्राप्त करने वाले नागरिकों को मतदान करने और चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलता है। नियमित चुनाव, बोलने की स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना और राय और अधिकारों की अभिव्यक्ति भी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। व्यक्ति के अधिकार, चुनाव के दौरान अपनी शक्ति का उपयोग करने के बारे ही में नहीं हैं, पर यह चर्चा करने, राय देने और निरंतर तरीके से भाग लेने का अधिकार भी है। स्वतंत्र चर्चा, संघ और आवधिक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत और सफल बनाते हैं। लोकतंत्र, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक समानता और लोगों के अधिकार के लिए एक अवसर प्रदान करता है जब स्थिति वैकल्पिक सरकार चुनने की मांग करती है। लोकतांत्रिक तरीके से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार, लोकतांत्रिक ढांचे में सभी को एक दूसरे की राय का सम्मान करने की उम्मीद होती है। यह कानून बनाने वाली संस्था का कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं, सामान्य संसाधनों का उपयोग करने की स्वतंत्रता, पुरुषों और महिलाओं और अन्य जेन्डरों के बीच समानता सुनिश्चित करने, काम करने के समान अवसर, स्वतंत्रता से सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कानून बनाने, शोषण से मुक्ति वगैरह है। अधिकारों को प्राप्त करने के अलावा, नागरिकों के लिए अपने कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना महत्वपूर्ण है। शासन प्रक्रिया में भागीदारी, वयस्क मताधिकार का उपयोग करना, जिम्मेदारियों को पूरा करना और आवश्यक

शिक्षा प्राप्त करना लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, दबाव समूह इत्यादि व्यक्ति को इसका हिस्सा बनने के लिए जगह प्रदान करते हैं जहां वे अपनी चिंताओं और विचारों का प्रतिनिधित्व कर उसे साझा कर सकते हैं।

शुरू में राजनीतिक विचारकों में बहु–जातीय, बहु–भाषाई और बहु–धार्मिक प्रकृति वाले देशों में लोकतंत्र की स्थिरता के बारे में कुछ संदेह थी। जे.एस मिल (J-S-Mill) के अनुसार, 'लोकतंत्र बहु–जातीय समाजों में असंभव और भाषाई रूप से विभाजित देशों में पूरी तरह से असंभव है'। रॉबर्ट डल (Robert Dahl) ने कहा कि ''व्यापक गरीबी और अशिक्षा स्थिर लोकतंत्र के लिए अनेथिमा है'' लिजर्फाट (Lijphart, 1996)। भारत ने इस तरह के विवाद को चुनौती दी है और यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि यह मुसीबतों का सामना कर सकता है, स्थिर और जीवित रह सकता है। अब हम भारत के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इसके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे।

6.3 भारत का संविधान और शासन द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने में इसका योगदान

पिछले खंडों में, हमने विभिन्न क्षेत्रों और लोकतंत्र की विशेषताओं में भारत के विकास को रेखांकित किया। आइए अब भारतीय संविधान और देश के शासन के लिए आधुनिक प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना के लिए इसके योगदान के बारे में चर्चा करते हैं। शासन की रूपरेखा, जिसे हमने 1947 में अपनाया है, ने लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाए हैं। औपनिवेशिक सरकार को पलटने के लंबे संघर्ष ने लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का, अब्राहम लिंकन के प्रसिद्ध उद्धरण के अनुरूप, विशेष रूप से सुशासन की स्थापना के महत्व को सामने लाया है। गाँधीजी ने गाँव और पंचायत स्तर पर स्वशासन के स्थापना की ओर इशारा किया, जबकि अंबेडकर ने स्थानीय और प्रबल जातियों की सत्ता को तोड़ने के लिए जिला और राज्य स्तर के संस्थानों का निर्माण पर ज़ोर दिया।

भारत में, स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात, तत्कालीन सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन और दुनिया में तेजी से विकास ने आधुनिक लोक प्रशासनिक प्रणाली के अनुकूलन का नेतृत्व किया। स्वतंत्र आधुनिक राज्य ने उन रणनीतियों को अपनाया जो न केवल प्रशासनिक चुनौतियों को संबोधित करते थे, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का भी प्रयास करते थे।

संविधान के निर्माताओं ने देश की भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताओं को संबोधित किया है और संविधान में जनसंख्या के हर वर्ग की आकांक्षाओं को जोड़ा है। यह एक लोकतांत्रिक देश का मौलिक कानूनी दस्तावेज है जो अपने शासन के सिद्धांतों को पूरा करता है। 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान ने शासन के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के लिए स्पष्ट भूमिकाएँ सौंपी हैं।

संविधान का उद्देश्य जो स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में बताया गया है, लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा देता है। संविधान को अपनाने पर भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य राज्य बन गया है। इसने भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी दिया है; विचारों और अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता और सभी बिरादरी के बीच बढ़ावा देने के लिए; व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन दिया है। यह मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो भारतीय संविधान के मूल मूल्यों को दर्शाते हैं। मौलिक अधिकार न्यायिक अधिकार हैं। यह नागरिकों को

मनमाने ढंग से पूर्वाग्रही राज्य कार्यों से बचाता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आगे चलकर नागरिकों को सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त कानून और नीतियां बनाने के लिए राज्य बनाकर उनकी क्षमता का एहसास कराते हैं। यह सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 38 में कहा गया है:

''राज्य एक सामाजिक व्यवस्था हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को सूचित करेगा''।

हम आगे के खंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित कुछ कानूनों और नीतियों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान सभी को उनकी जाति, वर्ग, जेन्डर और मूल स्थान के बावजूद समान मानता है। भारत का संविधान अपने नागरिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए तीन परस्पर संबंधित संरचनाओं जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचा प्रदान करता है।

उपर्युक्त विशेषताओं के साथ, संविधान नौकरशाही के आधुनिकीकरण और अर्ध (Quasi) संघीय ढांचे के साथ सरकार के संसदीय रूप को अपनाने की दिशा दी है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। प्रत्येक राज्य को उन ज़िलों में विभाजित किया गया है जिनमें विभिन्न छोटी प्रशासनिक और विकास इकाइयाँ हैं जैसे ब्लॉक, तहसील और गाँव। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम प्रशासनिक इकाई गांव है और शहरी क्षेत्र में शहर है। विभिन्न इकाइयों में देश के संगठित विभाजन, नागरिकों को लोकतंत्र को मजबूत करने और देश के विकास के लिए सार्थक योगदान देने के लिए निकटतम सरकारी ढांचे से जुड़ने में मदद कर रहे हैं। इसी तरह, केंद्र और राज्य स्तरों पर विभिन्न प्रभागों की स्थापना ने प्रभावी प्रशासन की दिशा में योगदान दिया है। संविधान में उपर्युक्त सुविधाओं का एकीकरण प्रशासनिक संरचनाओं को स्पष्ट दिशा देता है। इसने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, लोकतंत्र को मजबूत किया है और इसके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी के लिए कई जातीय, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच विश्वास पैदा किया है।

6.4 शासनः अवधारणा और संचालन

हम 'शासन' को परिभाषित करते हुए इस खंड को शुरू करेंगे। हमने इस पाठ्यक्रम की इकाई–2 में इसके बारे में पहले ही चर्चा की है। शासन का तात्पर्य उन परंपराओं और संस्थाओं से है; जिनके द्वारा किसी देश में अधिकार प्रयोग किया जाता है, जिसमें शामिल हैं: वे प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा सरकारें चयनित, निगरानी और प्रतिस्थापित की जाती हैं; ठोस नीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार करने और लागू करने के लिए सरकार की क्षमता; और उन संस्थाओं के लिए नागरिकों और राज्य का सम्मान जो उनके बीच सामाजिक और आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं (कॉफमैन, क्राय और जोइडो–लोबोटिन–Kaufmann, Kraay and Zoido-Lobaton,,1999)। भारत ने शासन के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं।

जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा है, भारत के संविधान ने राज्य के लोकतंत्रीकरण में योगदान दिया है। फिर भी, भारत और कई विकासशील देशों ने 1980 के दशक में शासन और भुगतान का संकट के संतुलन का सामना किया है। इसने भारत को आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के नए सेट की शुरुआत करने की आवश्यकता बताई है। विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित किए गए सुशासन की अवधारणा ने नए विकास विमर्श दिये। सुशासन के संकेतकों में पारदर्शिता, जवाबदेही, और विधि शासन, प्रशासनिक दक्षता और महिला–समर्थक,

गरीब–समर्थक, तथा पर्यावरण भी शामिल हैं। समाज में विभिन्न कारक और संरचनाएं हैं जो महिलाओं, हाशिए और अन्य वर्गों को भाग लेने और लोकतंत्र और विकास में सार्थक बदलाव लाने के लिए रोकती हैं। इस स्थिति में, नागरिकों को सरकार में सभी स्तरों पर सार्थक बदलाव लाने के लिए सशक्त बनाना उचित है। उपर्युक्त सुशासन संकेतक निश्चित रूप से राज्य को आगे लोकतांत्रिक बनाने में योगदान दे सकते हैं।

भारत, स्वतंत्रता के बाद देश की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार की आवश्यकता महसूस की है। जैसा कि हमने पूर्ववर्ती वर्गों में चर्चा की है, इसने राज्य के नेतृत्व वाले हस्तक्षेपों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को विकसित करने के साथ बड़ी संख्या में कल्याणकारी उपायों को अपनाया है। इसने विभिन्न विधायी उपायों के माध्यम से सामाजिक न्याय को भी संबोधित किया है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद नीतियों के माध्यम से किए गए प्रयासों ने वांछित परिणाम दिए हैं। पिछले दशक के दौरान ''गरीबी रेखा'' के तहत लोगों का प्रतिशत 1960 के दशक में लगभग आधी आबादी से घटकर एक चौथाई से थोड़ा अधिक हो गया है। हम अगले खंड में इसे संबोधित करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए कुछ उपायों पर विचार करेंगे। 1989 में आर्थिक संकट और 1990 में नवउदारवादी आर्थिक नीतियों की शुरूआत ने प्रशासनिक ढाँचों को नई चुनौतियाँ दी हैं। बढ़ते क्षेत्रवाद और विभिन्न क्षेत्रों में स्थान विशेष की समस्याओं को संबोधित करते हुए विकासात्मक चुनौतियों में लाया गया है। तेज़ी से आर्थिक विकास के कारण पर्यावरणीय गिरावट ने प्रशासन के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। देश ने अपने मुद्दों को तय करने और हल करने के लिए लोगों को शक्ति देकर लोकतंत्र को गहरा करने के महत्व को महसूस किया है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) के क्षेत्र में पहल लोकतंत्र और शासन की प्रक्रियाओं में नागरिकों और समुदायों को शमिल कर रही है। हम इस पाठ्यक्रम की इकाई 8 में इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

बोध प्रश्न 1

नोट (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए।

....

....

....

....

....

2. मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या हैं?

....

....

....

....

....

6.5 शासन के द्वारा लोकतन्त्र की मजबूती : कुछ उपाय

हमने पिछले भागों में उपयुक्त प्रशासनिक इकाइयों, कानूनों और शासन प्रक्रिया को बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान के योगदान को देखा है। आइए अब हम शासन द्वारा लोकतंत्र प्रक्रिया को मजबूत करने के उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिकों को लोकतांत्रिक और विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

इसकी शुरुआत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme-CDP) के साथ हुई, जिसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को लाना था। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर और गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा (National Extension Service-NES) कार्यक्रम शुरू किया गया था। सीडीपी में, कल्याण और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए मुखिया सेविकाओं और ग्राम सेविकाओं और महिला समाज जैसे महिला विस्तार कार्यकर्ताओं का आयोजन किया गया था। 1957 में तत्कालीन योजना आयोग ने लोगों की भागीदारी का आकलन करने और इसे सुनिश्चित करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए सीडीपी और एनईएस कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति ने देश में जिला परिषद, पंचायत समिति के साथ ब्लॉक/तहसील/तालुका स्तर और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के साथ देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इस प्रकार पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली अस्तित्व में आई। छठी पंचवर्षीय योजना सभी के लिए विकास गतिविधियों को गहरा करने के एक मोड़ है। इसने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में सभी के लिए बहु– विषयी और बहुप्रचारित दृष्टिकोण अपनाया। इसमें महिलाओं और हाशिये के लोगों की साक्षरता और शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया। इसने प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में वृद्धि, कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना ने भी बहुस्तरीय रणनीति अपनाई। योजना ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme) की सफलता का आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं को इस कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना ने विकास गतिविधियों को और विस्तार दिया। स्वसहायता समूहों (Self Help Group- SHG) की अवधारणा की शुरूआत और देश के विभिन्न हिस्सों में इसके गठन ने लोकतंत्र को मजबूत किया। इसे नौवीं योजना में पेश किया गया था। एसएचजी ने समाज में विभिन्न संस्थाओं और संरचनाओं के साथ संबंध विकसित किए हैं और वे लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने में सक्षम थे. दसवीं पंचवर्षीय योजना ने गरीबी को कम करने और साक्षरता बढ़ाने जैसे निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी गांवों में पीने के पानी की निरंतर पहुंच होनी चाहिए तथा योजना अवधि के भीतर, दसवीं योजना अवधि में लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करें। 11 वीं पंचवर्षीय योजना ने नीति निर्माण में समावेश पर ज़ोर दिया गया। पिछली योजनाओं की तरह, इसने भी निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 12 वीं पंचवर्षीय योजना ने भारत जैसे विविध देशों में विकास की जटिलताओं और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), और निजीक्षेत्र जैसे समाज के विभिन्न कार्यकर्ता के योगदान के साथ–साथ सरकारी कार्रवाई के माध्यम से प्रगति का संज्ञान किया। इसने समावेशी प्रगति और विकास को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने पर ज़ोर दिया।

1992 में लागू किए गए 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (Constitutional

Amendments Acts-CAAs) ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं में स्थायी संवैधानिक ढांचे बनाए हैं ताकि लोगों द्वारा लोकतंत्र को गहरा करने के लिए शासन की प्रक्रिया में भाग लिया जा सके। 73 वें और 74 वें CAAs की विशेषताएं जैसे ग्राम सभा का निर्माण, महिलाओं अनुसूचित जाति (एस.सी) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी) के लिए सभी स्तरों पर और सभी पदों पर आरक्षण, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक समान पांच साल का कार्यकाल, स्थानीय निकाय चुनावों को विशेष रूप से संचालित करने के लिए राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का गठन, करों को वसूलने की शक्ति, अपने क्षेत्राधिकार के भीतर करों और उचित करों को इकट्ठा करना, राजस्व साझा करने के लिए राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) के संविधान ने लोकतंत्र को मजबूत करने में और योगदान दिया। 74 वें सीएए ने संविधान में एक महत्वपूर्ण विशेषता पेश की। 73 और 74 सीएए के अनुच्छेद 243 G और 243 W, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अपने स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने का प्रावधान करते हैं। 74 वें सीएए के अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार एक जिला योजना समिति (District Planning Committee) की स्थापना की आवश्यकता है जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करेगी और समग्र रूप से ज़िले के लिए एक विकास योजना का मसौदा तैयार करेगी। 73 वें और 74 वें सीएए की विशेषताएं नागरिकों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शासन की प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा प्रदान करती हैं। अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विचार–विमर्श के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे निम्नतम संरचना अर्थात् ''ग्राम सभा'' स्थापित करना अनिवार्य है। भारत में प्रत्येक राज्य पंचायतों को नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के आदेशों को अधिसूचित करता है। सभी मतदाता भाग लेने, विचार–विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए पात्र हैं। ग्राम सभा, महिलाओं और हाशिए के लिए जगह देती है और बड़े लोकतांत्रिक स्थान में उनकी हित के लिए काम करती है। सभी के हित के लिए भागीदारी से निर्णय लिए जाते हैं और यह सामूहिक निर्णय बन जाता है। भारत में, आजादी के बाद, राज्य ने कल्याणकारी कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है और नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई उपाय पेश किए हैं, और उन्हें प्रशासन के करीब लाया है।

भारत में, आदिवासी समुदाय समाज के सबसे अधिक हाशिए पर हैं। वे मुख्य धारा के विकास की प्रक्रिया से तुलनात्मक रूप से अलग–थलग रह गए हैं और अपने स्वयं के रीति–रिवाजों और परंपराओं द्वारा समर्थित अच्छी तरह से बंधे, एकजुट सामाजिक संरचना और मूल्य प्रणाली की एक निर्बाध लंबी परंपरा को बनाए रखते हैं। उनके पास संघर्ष समाधान और अपने संसाधनों और सामाजिक–राजनीतिक जीवन का प्रबंधन करने के लिए कई स्थानीय पारंपरिक संस्थान भी हैं(सक्सेना-Saxena, 2018)। 1996 में, आदिवासियों के द्वारा जमीनी स्तर पर स्थानीय निकायों को मजबूत करने और स्व–सरकार प्रदान करने के लिए, संविधान के भाग में पंचायतों के साथ विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के लिए विस्तार किया गया है जिसे अनुसूचित क्षेत्र विस्तार (Panchayats Extension to Scheduled V Areas Act-PESA, 1996) कहा गया है। इसके तहत आदिवासी जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भारत सरकार ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अपनी रणनीति बदल दी है और 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से तत्कालीन योजना आयोग को बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI Aayog) की स्थापना की है।

यह भारत सरकार का 'थिंक टैंक' है जो देश को आगे ले जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यक नीतिगत इनपुट और तकनीकी सलाह प्रदान करता है। सरकार के अनुसार, 21 वीं सदी में सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शासन की चुनौतियां हैं। प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। विभिन्न स्तरों पर तेज़ी से बदलावों को देखते हुए, सरकार ने शासन की समस्याओं के समाधान के लिए मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों में सुधार करने का निर्णय लिया है।

चुनाव शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। साथ ही यह नागरिकों के प्रति सरकार को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने में मदद करता है। यह उन लोगों के बीच विश्वास और जवाबदेही पर आधारित दो–तरफा संबंध स्थापित करता है जो शासन करते हैं और जो शासित हैं। जैसा कि हमने इस इकाई में पहले ही उल्लेख किया है, भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं में नियमित चुनाव के साथ लोकतंत्र का संसदीय स्वरूप है। चुनाव संसद में बने कानूनों के पूरक संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। चुनाव से संबंधित प्रमुख कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951हैं (गिल–Gill, 2009) । लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव पाँच वर्षों में एक बार आयोजित किए जाने चाहिए। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होते हैं, जिनकी 18 वर्ष की आयु के नागरिक मतदान के लिए पात्र होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrrage) पर आधारित नियमित चुनावों ने भारत के नागरिकों को अपनी पसंद का प्रयोग करने में मदद की है और यह लोकतंत्र को गहरा करने की दिशा में एक उपाय है। चुनावी सशक्तीकरण ने अनुसूचित जाति (SCs) अनुसूचित जनजाति (STs) और अन्य सामाजिक धार्मिक अल्पसंख्यकों को विभिन्न सामाजिक वर्गों में लाकर चुनावी मैदान में ला दिया है। समाजिक रूप से सीमांत समूहों के विभेदक और क्षैतिज चुनावी जुटाव के परिणामस्वरूप नीतिगत बदलाव हुए हैं जिससे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने में मदद मिली। पिछले तीन दशकों में, दबाव समूहों के गठन और विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय स्तर के दलों के साथ उनके गठबंधन ने एससी, एसटी और महिलाओं जैसे हाशिए के मुद्दों को दूर करने में मदद की है। नियमित चुनावों ने लोकतंत्र को व्यापक किया है और मतदाता एक अवधि में बढ़ गए हैं। 1952 में पहले आम चुनाव में, 61 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2014 के आम चुनावों में, 60 फीसदी पुरुषों और 56 फीसदी महिला मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अपनी पसंद का प्रयोग किया।

भारत में लगातार सरकारों ने सभी नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें शासन प्रक्रिया में लाने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम पेश किए हैं। आइए उनमें से कुछ पर चर्चा करते हैं।

''सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए–SSA)'' योजना नवंबर 2000 में शुरू की गई थी, जिसमें राज्यों को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी दी गई थी। एसएसए की नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कल्पना की गई थी कि सुलभता सुनिश्चित करने, जेन्डर और सामाजिक अंतराल को कम करने और सीखने की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हस्तक्षेप के माध्यम से देश में शैक्षिक स्थिति में सुधार किया जाय। कार्यक्रम को जारी रखते हुए, वर्ष 2002 में संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 A को छह और चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया। यह एक मौलिक अधिकार है। 86 वें संशोधन अधिनियम के आधार पर, राज्य ने बच्चों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई–Right to Education) अधिनियम, 2009 को लागू किया है। इसने देश में सभी बच्चों के बीच इक्विटी

और समानता ला दी है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, आधुनिक लोकतंत्र का एक प्रमुख सिद्धांत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना है। आरटीई अधिनियम 2009 में सूचीबद्ध सुधार के प्रमुख क्षेत्र हैं:

1. शिक्षण–अधिगम (Teaching - Learning) सामग्री और सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
2. प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यक संख्या की नियुक्ति और व्यापक मूल्यांकन के लिए उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना;
3. स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन;
4. छात्र–शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher ratio) और शिक्षक–कक्षा अनुपात (Teacher Classroom ratio) और, छात्र–कक्षा अनुपात (Student Classroom ratio) का रखरखाव।
5. पुस्तकालय, मध्यान्ह भोजन, जैसी सुविधाओं का प्रावधान और बच्चों को प्रोत्साहन देना। अधिनियम ने निजी स्कूलों को निर्देशित किया कि वे अनिवार्य रूप से स्वीकार करें और समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के 25 प्रतिशत छात्रों को दाखिला दें। यह इमारतों, खेल के मैदान, चारदीवारी, सुरक्षित पेयजल और लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुधार का प्रावधान करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission, NRHM) 2005 में ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। मिशन के उद्देश्य पानी, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और जेन्डर समानता जैसे अन्य मुद्दों को एकीकृत करके पूरी तरह कार्यात्मक समुदाय के स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना करना है। उपर्युक्त दो कार्यक्रम, कई अन्य कार्यक्रम की तरह, शासन की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं।

राज्य ने नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और नीतियों के रूप में एक सकारात्मक कार्रवाई की है। सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना/कार्यक्रम (MGNREGS) है। यह एक अधिकार आधारित राष्ट्रीय स्तर का ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। यह 25 अगस्त 2005 को कानून द्वारा अधिनियमित किया गया था और फरवरी 2006 में लागू किया गया था। कार्यक्रम भारत में रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अकुशल शारीरिक श्रम के न्यूनतम दिनों की गारंटी देता है। कार्यक्रम ने महिलाओं को 30 प्रतिशत काम आवंटित किया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इसे कार्य को अंतिम रूप देने और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम भी बेरोजगारी भत्ते की गारंटी देता है यदि रोजगार चाहने वालों को काम प्रदान नहीं किया जाता है। इसे सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम में से एक माना जाता है। खासतौर पर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नए सुधारों को शुरू करने और मौजूदा प्रणालियों को मजबूत करने के माध्यम से विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

बोध प्रश्न 2

नोट (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. 73 वें और 74 वें सर्व शिक्षा अभियान (सीएए) की विशेषताओं के बारे में बताएं।

....

....

....

....

....

2. आरटीई अधिनियम में सूचीबद्ध सुधार के प्रमुख क्षेत्रों की सूची बनाएं।

....

....

....

....

....

6.6 निष्कर्ष

हमने लोकतंत्र की विशेषताओं, भारत के संविधान, शासन की प्रक्रिया और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की है। जैसा कि हमने इस इकाई में चर्चा की है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक अनुच्छेदों को शामिल करना सुनिश्चित किया है। भारत के संविधान के अनुसार, शासन की प्रक्रिया ने प्रशासन और प्रशासन की सबसे निचली इकाई में लोकतंत्र को आगे ले जाना सुनिश्चित किया है। केवल सरकारी ढाँचे ही नहीं, अन्य संस्थाएँ और संगठन भी राज्य के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

6.7 शब्दावली

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) : यह भारत सरकार द्वारा 1952 में शुरू किया गया पहला प्रमुख विकास कार्यक्रम था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और लोगों की भागीदारी का समग्र विकास था। इसे एक प्रशासनिक ढांचा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था जिसके माध्यम से सरकार जिला तहसील तालुका और गाँव स्तर तक पहुँच सके।

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) : जीडीपी किसी देश के भीतर आर्थिक गतिविधि के मूल्य को मापता है। जीडीपी एक समय की अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों या कीमतों का योग है।

दबाव समूह (Pressure Groups): एक दबाव समूह का गठन वैसे लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए लोक नीति को प्रभावित करना चाहते हैं। यह विरोध प्रदर्शनों, प्रदर्शनकारियों आदि के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है।

सामाजिक सुरक्षा नेट (Social Security Net) : यह व्यक्तियों या राज्य के समुदाय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक संग्रह है। यह अन्य गरीबी घटाने के कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम करता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य गरीबी कम करना है। इसमें बेरोजगारी लाभ, कल्याण और इतने पर शामिल हैं।

6.8 संदर्भ लेख

Agnes, F. (2015). Constitutional Debates. MWG010 Women and Political Process. New Delhi, India: IGNOU.

Andrews, M. (2008). The Good Governance Agenda: Beyond Indicators without Theory- OÛford Development Studies. 36(4): 379.407.

Appadorai, A. (2006)- The Substance of Politics- New Delhi, India: OÛford University Press-

Census of India (2019)- Retrieved from www-censusindia-gov-in.

Gill, M.S. (2009)- The Electoral System of India- New Delhi] India% Election Commission of India.

International Monetary Fund Data- (2019)- Retrieved from https://www-imf-org/en/Data.

Jain, R.B. (2001)- Towards Good Governance: A Half Century of India's Administrative Development- International Journal of Public Administration- 24)12):1299-1334.

Kaufmann, D., Kraay, A- & Zoido-Lobaton, P. (1999)- Governance Matters- World Bank Policy Research Working Paper 2196- Washington] D.C., USA: The World Bank.

Mill, J. S. (1948/1864). The Representative Government- Oxford, UK: Basil Blackwell.

SaÛena, N.C. (2018). Programme Delivery Through Panchayats. The Monthly Journal of Kurukshetra. 66(9).

Singh, K. R. (2015)- Electoral Systems and Political Parties- MWG010 Women and Political Process- New Delhi] India% IGNOU.

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:
   - लोकतंत्र लोगों की इच्छा को सर्वोच्च मानता है।
   - सभी नागरिकों को समान माना जाता है।

- न्यूनतम आवश्यक आयु प्राप्त करके सभी वयस्कों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मतदान करने और चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलता है।
- नियमित चुनाव, बोलने की स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर और व्यक्तिगत राय और अधिकारों को मूल्य देना भी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

2. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:

- मौलिक अधिकार न्यायिक अधिकार हैं।
- यह नागरिकों को मनमाने ढंग से पूर्वाग्रही राज्य कार्यों से बचाता है।
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के आगे नागरिक को सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त कानून और नीतियां बनाने के लिए राज्य बनाकर अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराते हैं।
- इसे सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।

बोध प्रश्न 2

1. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:

- ग्राम सभा का निर्माण।
- सभी स्तरों और सभी पदों पर महिलाओं, अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए पदों का आरक्षण।
- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 5 साल की अवधि।
- चुनाव आयोग का गठन।
- करों को वसूलने की शक्ति, अपने कर क्षेत्र के भीतर का कर और उचित कर एकत्र करना।
- राजस्व साझा करने के लिए सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन।

2. आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:

- शिक्षण–अधिगम सामग्री और सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यक संख्या की नियुक्ति और व्यापक मूल्यांकन के लिए उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन;
- छात्र–शिक्षक अनुपात (Student Teacher ratio) और शिक्षक–कक्षा अनुपात (Teacher Classroom ratio) और, छात्र–कक्षा अनुपात (Student Classroom ratio) का रखरखाव।
- पुस्तकालय, मध्यान्ह भोजन, जैसी सुविधाओं का प्रावधान और बच्चों को प्रोत्साहन देना।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

104 blank